

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ०एन० 5-3/2007 (एफ०सी०, डिवीजन) दिनांक 05-02-2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।



(अंकुर बाजपेई)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैमूर वन्य जीव विहार
गुर्मा-रेंज सोनभद्र

तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन